

संख्या- 1862 / अड्डीस- 5-2013-67 सम/2007 T. C.

प्रेषक,

अरुण सिंघल,  
प्रभुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

लोका में,

- 1- समस्त मण्डलायुक्त,  
उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुनाग-5

लखनऊ: 19 जुलाई, 2013

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

नहोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अंचलों में प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त नात्रा में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराये जाने की रूप-रेखा बनाई गयी है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2022 तक 90 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को पाइप पेयजल योजना के माध्यम से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए इष्टिहा नार्क-।। हैण्डपन्थों, सार्वजनिक स्टैण्ड पोस्टों एवं अन्य जल स्रोतों पर अति निर्भरता को धीरे-धीरे कम किया जाना है।

2- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में 5000 से अधिक की आबादी वाले ग्रामों एवं गुणता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजना के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराये जाने में प्राथनिकता प्रदान किये जाने का प्राविधान वर्तमान में प्रभावी है।

3- उपर्युक्त के कम में सुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में पाइप पेयजल योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन एवं ग्रामवासियों में स्वामित्व की नावना विकसित करने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की स्वीकृति में ज्ञानान्य परिवार द्वारा रु. 450.00 (रुपये चार सौ पचास मात्र) तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ बी0यी0एल0 परिवारों से रु. 225.00 (रुपये दो तीन पच्चीस मात्र) प्रति परिवार अपकृत अंशदान देने वाले ग्रामों/ नजरों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किये जाने में प्राथनिकता दिए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के जन्मन्दू में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

( अरुण सिंघल )  
प्रभुख सचिव।